संख्या-46/2413/58-1-2023/54-2099/39/2021

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ दिनांकः 11 सितम्बर, 2023

विषयः दिनांक 01 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2023 तक राष्ट्रीय पोषण माह के सफल आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषयक सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या-पी0ए0/340/2023-डिप्टी सेक्रेटरी दिनांक 29 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह सितम्बर, 2023 को 'राष्ट्रीय पोषण माह' के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- पोषण अभियान एक बहु-विभागीय कन्वर्जेन्स का अभियान है, जो मा0 प्रधानमंत्री जी के विजन ''सुपोषण भारत'' (कुपोषण मुक्त भारत) पर आधारित है। पोषण अभियान के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु जन-आन्दोलन और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक घटक हैं। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में सभी हितधारकों के समेकित प्रयासों से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इसी क्रम में छठां ''राष्ट्रीय पोषण माह'' सितम्बर, 2023 में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पोषण से सम्बन्धित समस्त कन्वर्जेन्स विभागों के समन्वय एवं समेकित प्रयासों से पूरे प्रदेश में पोषण आधारित जीवन-चक्र के महत्वपूर्ण चरणों यथा-गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन व किशोरावस्था में पोषण के सम्बन्ध में जन-जागरूकता लाने हेतु प्रचार-प्रसार तथा जन-जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।

इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की मुख्य थीम **''सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत''** है। पोषण अभियान के अन्तर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पोषण अभियान के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चरण है। भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में इस वर्ष के ''राष्ट्रीय पोषण माह'' का मुख्य फोकस अंतर्विभागीय कन्वर्जेन्स स्थापित करते हुये समेकित रुप से पोषण सम्बन्धी गतिविधियां वृहद स्तर पर आयोजित की जानी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष सितम्बर, 2023 में आयोजित किये जाने वाले पोषण माह की मुख्य थीम निम्नवत निर्धारित की गयी है:-

- प्रभावी स्तनपान व सम्पूरक आहार।
- स्वस्थ बालक स्पर्धा (एस0बी0एस0) ।
- पोषण भी पढ़ाई भी (पी0बी0पी0बी0)
- मिशन लाइफ (Mission LiFE) के माध्यम से पोषण में सुधार।
- मेरी माटी मेरा देश (एम0एम0डी0)।
- जनजातीय केन्द्रित पोषण अभिमुखीकरण।
- एनीमिया स्तर में सुधार हेतु परीक्षण, उपचार व संवाद (Test, Treat, Talk)।

उक्त सभी थीम पर कार्य करने हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के साथ-साथ अन्य विभाग यथा-स्वास्थ्य, पंचायती राज, शिक्षा, खाद्य व रसद, कृषि व उद्यान, आयुष, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, ग्राम्य विकास विभाग की अहम भूमिका है। इन दिशा-निर्देशों के साथ थीमवार पोषण सम्बन्धी गतिविधियॉ (प्रति संलग्न) आयोजित किये जाने हेतु प्रेषित है।

3- पोषण माह के अन्तर्गत आयोजित होने वाली मुख्य गतिविधियॉ निम्नवत् हैं:-

- **पोषण अभियान का शुभारम्भ-** जनपदों द्वारा जिला पोषण समिति की बैठक में कार्य-योजना तैयार की जायेगी तथा पोषण माह का शुभारम्भ नियत तिथि पर जन प्रतिनिधियों व जिलाधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- **स्वस्थ बालक प्रतियोगिता (स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से)-** पोषण माह की यह एक प्रमुख गतिविधि है। इस गतिविधि का उद्देश्य सुपोषित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करना है। इस गतिविधि के आयोजन व इसकी सफलता में ग्राम प्रधान व पोषण पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, पोषण की महत्ता पर जागरूकता बढ़ाना तथा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाना। शहरी मलिन बस्तियों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के माध्यम से वृद्धि निगरानी का कार्य आयोजित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वजन सप्ताह के आयोजन पश्चात जो बच्चे स्वस्थ व सुपोषित है तथा जिनको पूर्व निर्धारित सेवायें मिली हैं, उनको पुरस्कृत किया जायेगा। बच्चों को पुरस्कृत करने के मानक पूर्व में ही जनपदों को प्रेषित किये गये हैं। जिस बच्चे को पुरस्कृत किया जाना है, उसका चयन करने के लिये निम्न सदस्यों को ग्राम स्तर पर नामित किया जा सकता है -

- आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका।
- पोषण पंचायत के सदस्य।
- ग्राम सभा के प्रतिनिधि।
- ए0एन0एम0/आशा।
- स्थानीय शिक्षक।

- **स्कूल केन्द्रित गतिविधियां (शिक्षा विभाग के सहयोग से)-** स्कूलों में बच्चों द्वारा पोषण विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, प्रभात फेरी, पोषण वाटिका, पोषण मेले का आयोजन, निबंध प्रतियोगिता, फल-सब्जियों के प्रयोग करते हुए विभिन्न गतिविधियां, योगा सत्र एवं खिलौनों के माध्यम से शिक्षा दी जायेगी। रेसिपी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जायेगा, जिससे कि उन्हें स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों की जानकारी हो सके। इसके अतिरिक्त तिरंगे को बढ़ावा देना/इंद्रधनुष थाली बनवाने सम्बन्धी गतिविधियों का भी आयोजन किया जायेगा।
- **आंगनबाड़ी केन्द्र तथा सामुदायिक भूमि पर पोषण वाटिका को बढ़ावा देना (ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग व पंचायती राज विभाग के समन्वय व सहयोग से)-** पोषण वाटिका, फल और सब्जियां सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं और उनका नियमित सेवन अच्छे स्वास्थ्य, पोषण के लिए आवश्यक है। ग्राम्य विकास, उद्यान व पंचायतीराज विभाग के समन्वय व सहयोग पोषण वाटिका की स्थापना आंगनवाड़ी के समीप खाली स्थान पर की जाये। पोषण वाटिका को कुपोषित बच्चों के घरों में स्थापित करने से इन परिवारों को लाभ भी मिलेगा।
- **गृह भ्रमण व केन्द्र आधारित गतिविधियां (स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से):** पोषण माह के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा गृह भ्रमण किया जायेगा। इसके साथ-साथ केन्द्र आधारित गतिविधियां भी आयोजित की जायेगी। गृह भ्रमण व केन्द्र आधारित गतिविधियों का मुख्य फोकस आखिरी त्रैमास की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गर्भवती महिलायें, नवजात शिशु, 0-6 माह के कम वजन के शिशु तथा सभी सैम व गंभीर अल्पवजन बच्चों को सेवाओं से आच्छादित करना होगा।

- **ग्राम स्तर पर आयोजित की जाने वाली अन्य गतिविधियॉ (स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से)-** पोषण रैली, जल संरक्षण गतिविधियॉ, रेसिपी प्रतियोगिता आदि गतिविधियॉ आयोजित की जायेंगी।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से भी जन-जागरूकता की गतिविधियॉ आयोजित की जायेंगी।
- **सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार (सूचना विभाग):** सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर पोषण माह की गतिविधियों के प्रचार प्रसार एवं व्यापक संवेदीकरण हेतु जिलाधिकारी के ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर प्रतिदिन पोस्ट किया जाना है।

4- जन आन्दोलन के माध्यम से जन संवेदीकरण: जन प्रतिनिधि, सरकारी विभाग के अधिकारी, डेवलपमेंट पार्टनर्स और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के साथ सामुदायिक रेडियो, स्थानीय चैनलों आदि पर चर्चा और टॉक शो आयोजित किये जायें। स्थानीय समाचार पत्रों में पोषण पर स्थानीय स्तर से लेख आमंत्रित किए जा सकते हैं। सभी संघों, महासंघों, संघों (कर्मचारियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, किसानों, व्यापारियों आदि) का पोषण अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए सक्रिय समर्थन प्राप्त किया जाये।

5- राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन में स्थानीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित की जाए। साथ ही पोषण माह के दौरान किये जा रहे कार्यक्रमों, गतिविधियों के फोटोग्राफस तथा वीडियों एव अन्य गतिविधियों को संक्षिप्त विवरण सहित नियमित रूप से जनआन्दोलन डैशबोर्ड http://poshanabhiyaan.gov.in पर अपलोड करें।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने कुशल नेतृत्व में समस्त कनवर्जेन्स विभागों के सहयोग से अपने कुशल नेतृत्व में पोषण माह का सफल आयोजन कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
13. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
14. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
15. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
16. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
17. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
21. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश।
22. डेवलेपमेन्ट पार्टनर उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (यू0टी0एस0यू0), टाटा ट्रस्ट, पीरामल व न्यूट्रीशन इन्टरनेशनल, एलाइव एण्ड थ्राइव को राज्य व जनपद स्तरीय सहयोग प्रदान करने हेतु।
23. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in